कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 9683/2020 बहादुर सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी के दिनांक 21.02.2018 से संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत अध्यापक ग्रेड–III के पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में कार्यरत रहते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में याचिकार्थी द्वारा विभागीय अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया गया था। तत्पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर चयनोपरान्त, बोर्ड द्वारा अभिस्तावित याचिकार्थी को विभाग द्वारा जिला आवंटन पश्चात जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 07.12.2019 के अनुसार याचिकार्थी को दिनांक 20.12.2019 तक आवंटित विद्यालय में कार्यग्रहण करना था। याचिकार्थी के कथनानुसार संस्कृत अध्यापक ग्रेड–III के पद पर कार्यरत होने व उक्त पद पर प्रोबेशन अवधि पूर्ण नहीं होने तथा उसकी माता के बीमार हो जाने के कारण याचिकार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2019 तक कार्यग्रहण करना सम्भव नहीं था। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यग्रहण अवधि में छूट प्रदान करने तथा पुनः नियुक्ति पत्र जारी कर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा याचिकार्थी बहादुर सिंह जाट का चयन वरीयता क्रमांक 572 पर किया जाकर अभिस्तावना विभाग को भिजवायी गयी। शासन के निर्देश दिनांक 15.11.2019 की पालना में वरीयता क्रमांक, चयनवर्ग एवं विकल्प की प्राथमिकता के आधार पर याचिकार्थी बहादुर सिंह जाट को सीकर जिला आवंटित किया गया तथा नियुक्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 07.12.2019 द्वारा इन्हें राउप्रावि घाट गुवार, नीम का थाना, सीकर में पदस्थापित किया गया। याचिकार्थी के पदस्थापन आदेश दिनांक 07.12.2019 में निर्धारित तिथि 20.12.2019 तक कार्यग्रहण किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे तथा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट अंकन किया गया था। अतः याचिकार्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक आवंटित विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर के आदेश दिनांक 18.02.2020 द्वारा याचिकार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा चुका है।

राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग (क–2) के परिपत्र क्रमांक एफ.8(3)डीओपी/ए–II/73 जयपुर, दिनांक 19.01.1996 के अनुसार "All the Appointing Authotities are enjoined upon that **where it is necessary to do so in the public interest,** the period for joining may be extended upto 6 months from the date of original offer of appointment."

उक्त परिपत्र दिनांक 19.01.1996 के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग (क–2) के परिपत्र क्रमांक एफ.8(3)डीओपी/ए–II/73 जयपुर, दिनांक 18.10.1997 के अनुसार "It is well established that the Administrative Departments/Appointing Authorities get the posts sanctioned by way of BFC, or otherwise, on the grounds that for want of adequate personnel they are unable to provide the public with the service(s) to the required extent. After the posts are sanctioned, Apoointing Authorities get the selections made in accordance with the provisions contained in the Recruitment Rules and appointment orders are issued but the appopintment orders are not materialised in many cases, because the appointees come forward with the request of extension in the joining time on various grounds. This defeats the whole purpose of sanctioning the post(s) because even after selections are made, posts are not filled up."

विदित है कि याचिकार्थी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत अध्यापक ग्रेड–III के पद पर प्रोबेशनर अवधि पूर्ण करने हेतु निजी हित को ध्यान में रखते हुए कार्यग्रहण तिथि में शिथिलन मांगा गया, किसी लोकहित को ध्यान में रखते हुए नहीं मांगा गया। अतः राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग (क–2) के

परिपत्र क्रमांक एफ.8(3)डीओपी/ए–II/73 जयपुर, दिनांक 19.01.1996 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यग्रहण तिथि में शिथिलन प्रदान किया गया।

अतः याचिकार्थी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यग्रहण अवधि में छूट प्रदान करने तथा पुनः नियुक्ति पत्र जारी कर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/13014/2020 दिनांकः– 10.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, सीकर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को शिविरा/मा/विधि/बी–2/जय./निर्णय/29844/जी/20 के क्रम में।
5. याचिकार्थी श्री बहादुर सिंह जाट पुत्र श्री प्रहलाद सहाय जाट, निवासी–मुवालों की ढ़ाणी, बिलौची, तहसील–आमेर, जयपुर **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)